प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली

पत्र संख्या--आशु/एन0ओ0सी0/ /2014–15 दिनांक 30/6/2014

विषय– श्री राजेन्द्र गिरि मेमोरियल अकादमी, लक्ष्मणजती, गोला, लखीमपुर खीरी को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि शासनादेश संख्या–1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2014 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार उपर्युक्त संदर्भित विद्यालय को **सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली** से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने में आपत्ति नही है–

1. विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशन स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा सचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नही की जायेगी।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमांन तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा–विनियमावली बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखे जायेंगे।

Manager
Shri Rajendra Giri Memorial Academy
Gola Gokaran Nath (KHERI) U.P.

Principal
Shri Rajendra Giri Memorial Academy
Gola Gokaran Nath (KHERI) U.P.

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

9. जनहित याचिका संख्या–483/2004 अवनीश मेहरोत्रा प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेतु भलीभाँति प्रशिक्षित है।

10. उपर्युक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नही किया जायेगा।

2– उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

श्रीमती (सुत्ता सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

पृ0सं0–आशु0/एन0ओ0सी0/3310–16 /2014–15 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. शिक्षा सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन।
2. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखीमपुर खीरी
4. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. प्रबन्धक, श्री राजेन्द्र गिरि मेमोरियल अकादमी, लक्ष्मणजती, गोला, लखीमपुर खीरी
6. गार्ड फाइल

30.6.14

श्रीमती (सुत्ता सिह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

Manager
Shri Rajendra Giri Memorial Academy
Gola Gokaran Nath (KHERI) U.P.

Principal
Shri Rajendra Giri Memorial Academy
Gola Gokaran Nath (KHERI) U.P.

Scanned by CamScanner

Scanned with OKEN Scanner